मिशन शक्ति

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा देश में लागू योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई पहलें की गयी हैं।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और अधिकारिता के लिए अंब्रेला योजना के रूप में 'मिशन शक्ति' नामक एक एकीकृत महिला अधिकारिता कार्यक्रम तैयार किया है।

प्रमुख बिंदु

- इसका उद्देश्य अधिक दक्षता, प्रभावशीलता और वित्तीय समावेशन के लिए संस्थागत और अभिसरण तंत्र के माध्यम से मिशन मोड में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए पहल को मजबूत करना है।
- अंब्रेला योजना के रूप में मिशन शक्ति की दो उप-योजनाएँ हैं:
- महिलाओं की सुरक्षा के लिए "संबल" और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए "सामर्थ्य" योजना।
- 'समर्थ्य' उप-योजना के तहत, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए केंद्र (HEW) नामक एक नया घटक शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य केंद्र, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और जिला स्तर पर महिलाओं के लिए बनाई गई योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण की सुविधा प्रदान करना है। इसका लक्ष्य एक ऐसा वातावरण बनाना है जिसमें महिलाएं अपनी पूरी क्षमता का एहसास कर सकें।
- HEW के तहत महिलाओं को उनके सशक्तिकरण और विकास के लिए विभिन्न संस्थागत एवं योजनाबद्ध ढाँचे में मार्गदर्शन, लिंकिंग और हैंड होल्डिंग के लिए सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, करियर तथा व्यावसायिक परामर्श/प्रशिक्षण, वित्तीय समावेशन, उद्यमिता, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज,देश भर में जिलों/ब्लॉकों/ग्राम पंचायतों के स्तर पर श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा एवं डिजिटल साक्षरता शामिल हैं।

स्रोत-पीआईबी

आइची लक्ष्य

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में 196 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (CBD) के तहत पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए एक नए वैश्विक समझौते को समाप्त करने के उद्देश्य से 7-21 दिसंबर से मॉन्ट्रियल, कनाडा में बैठक का आयोजन किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- पार्टियों के 15वें सम्मेलन (COP15) में चर्चा के तहत 24 संरक्षण लक्ष्यों में से कई का उद्देश्य पिछली गलतियों से बचना और दुनिया के संरक्षण लक्ष्यों के अंतिम समूह में सुधार करना है। इन्हें आइची जैव विविधता लक्ष्य कहा गया, जो 2020 में समाप्त हो गए थे ।
- सितंबर, 2020 के संयुक्त राष्ट्र के आकलन के अनुसार, किसी एक देश ने अपनी सीमाओं के भीतर सभी 20 आइची लक्ष्यों को पूरा नहीं किया।

आइची लक्ष्य:

- जैविक विविधता पर कन्वेंशन (CBD) ने 2010 में नागोया सम्मेलन में आइची जैव विविधता लक्ष्यों को अपनाया था।
- आइची जैव विविधता लक्ष्यों ने एक 10-वर्षीय योजना (जैव विविधता के लिए रणनीतिक योजना 2011-2020) निर्धारित की, जिसमें 20 वैश्विक जैव विविधता लक्ष्य थे, जिन्हें 2020 की समय सीमा के साथ पाँच स्ट्रेटेजिक लक्ष्यों के तहत विभाजित किया गया था।
  - **स्ट्रेटेजिक लक्ष्य A :** सरकार और समाज में जैव विविधता को मुख्यधारा में लाकर जैव विविधता के नुकसान के अंतर्निहित कारणों का पता लगाना।
  - **स्ट्रेटेजिक लक्ष्य B :** जैव विविधता पर प्रत्यक्ष दबाव कम करना और सतत उपयोग को बढ़ावा देना।
  - **स्ट्रेटेजिक लक्ष्य C :** पारिस्थितिक तंत्र, प्रजातियों और आनुवंशिक विविधता की रक्षा करके जैव विविधता की स्थिति में सुधार करना।
  - **स्ट्रेटेजिक लक्ष्य D** : जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं से सभी को लाभ पहुँचाना।
  - **स्ट्रेटेजिक लक्ष्य E :** भागीदारी योजना, ज्ञान प्रबंधन और क्षमता निर्माण के माध्यम से कार्यान्वयन में वृद्धि करना।
- इसमें आने वाले दशक के दौरान वनों की कटाई को कम से कम आधा करने और प्रदूषण पर अंकुश लगाने जैसे लक्ष्य शामिल थे ताकि यह अब पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान न पहुंचाए।
- हालाँकि, कई लक्ष्यों में अस्पष्ट भाषा शामिल थी और देशों को किसी विशिष्ट कार्रवाई के लिए बाध्य नहीं करती थी।

210, Virat Bhawan, 2nd Floor Near Post Office, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09
Contact Us 9999516388, 8595638669

- पार्टियों द्वारा आइची लक्ष्यों को अपनाने के बाद, उनसे अपनी राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतियों को तैयार करने की उम्मीद की गई थी। लगभग सभी देशों ने ये रणनीतियाँ बनाईं, लेकिन अधिकांश को कभी भी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया।

स्रोत- द इंडियन एक्सप्रेस

उत्तराखंड लोक सेवा (महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण) विधेयक, 2022

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में उत्तराखंड विधानसभा ने राज्य सरकार की सेवाओं में स्थानीय महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने के लिए एक विधेयक पारित किया।

प्रमुख बिंदु

- विधेयक में राज्य में लागू मौजूदा कोटा के अलावा सार्वजनिक सेवाओं और पदों में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान करके लैंगिक अंतर को दूर करने का प्रस्ताव है।
- यह आरक्षण स्थानीय प्राधिकारियों, उत्तराखण्ड सहकारी समितियों, जिनमें राज्य सरकार की शेयर धारिता पूँजी के 51 प्रतिशत से कम न हो, किसी केन्द्रीय या उत्तराखण्ड राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित विधिक निकाय या बोर्ड या निगम, जो राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में है तथा कोई भी शैक्षणिक संस्थान, जो राज्य सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में है या जो राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करता है, के पदों पर लागू होगा।
- यदि आरक्षित सीटों को भरने के लिए पर्याप्त महिलाएं उपलब्ध नहीं होती हैं, तो उन्हें प्रवीणता के क्रम में योग्य पुरुष उम्मीदवारों से भरा जाएगा।

लंबवत और क्षैतिज आरक्षण:

- दिसंबर,2020 में, सुप्रीम कोर्ट ने लम्बवत और क्षैतिज आरक्षण की परस्पर क्रिया पर कानून की स्थिति स्पष्ट की।
- सौरव यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में दो-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने राज्य में कांस्टेबलों के पदों को भरने हेतु चयन प्रक्रिया में आरक्षण के विभिन्न वर्गों को लागू करने के तरीके से उत्पन्न होने वाले मुद्दों से निपटाया।

लंबवत आरक्षण:

- कानून के तहत निर्दिष्ट प्रत्येक समूह के लिए एक लंबवत आरक्षण अलग से लागू होता है।

क्षैतिज आरक्षण:

- क्षैतिज आरक्षण, हमेशा प्रत्येक लंबवत श्रेणी के लिए अलग से लागू होता है, न कि पूरे मंडल में।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को लंबवत आरक्षण कहा जाता है।

- क्षैतिज आरक्षण का तात्पर्य लाभार्थियों की अन्य श्रेणियों; जैसे- महिलाओं, दिग्गजों, ट्रांसजेंडर समुदाय और विकलांग व्यक्तियों को लंबवत आरक्षण के माध्यम से प्रदान किए गए समान अवसर से है।
- उदाहरण के लिए, यदि महिलाओं के पास क्षैतिज आरक्षण 50 प्रतिशत है, तो प्रत्येक लंबवत आरक्षण श्रेणी में चयनित उम्मीदवारों में से आधीअनिवार्य रूप से महिलाएं होनी चाहिए - यानी, सभी चयनित अनारक्षित या सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों में से आधी महिलाएं होनी चाहिए।

स्रोत- द इंडियन एक्सप्रेस

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA)

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में भारत सरकार ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 3 करोड़ 60 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कार्यक्रम के तहत व्यापक प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान की गयी है।

प्रमुख बिंदु

- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा शुरू किया गया है।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य हर महीने की 9 तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं को नि:शुल्क, व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व देखभाल सुनिश्चित रूप से प्रदान करना है।
- यह निर्दिष्ट सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं पर गर्भावस्था के दूसरे/तीसरे तिमाही में महिलाओं को प्रसवपूर्व देखभाल सेवाओं के न्यूनतम पैकेज की गारंटी देता है।
- यह कार्यक्रम निजी क्षेत्र के साथ जुड़ाव के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण का पालन करता है जिसमें निजी चिकित्सकों को जागरूकता पैदा करने के लिए रणनीति विकसित करना और सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में भाग लेने के लिए निजी क्षेत्र को शामिल किया जाता है।
- यह प्रजनन, मातृ, नवजात शिशु, बाल और किशोर स्वास्थ्य (RMNCH+A) रणनीति के हिस्से के रूप में निदान और परामर्श सेवाओं सहित प्रसवपूर्व देखभाल (ANC) की गुणवत्ता और कवरेज में सुधार करने की परिकल्पना करता है।

कार्यक्रम के उद्देश्य:

- एक चिकित्सक / विशेषज्ञ द्वारा दूसरी या तीसरी तिमाही में सभी गर्भवती महिलाओं के लिए कम से कम एक प्रसवपूर्व जाँच सुनिश्चित करना।
- प्रसव पूर्व जाँच के दौरान देखभाल की गुणवत्ता में सुधार लाना। इसमें निम्नलिखित सेवाओं का प्रावधान सुनिश्चित करना शामिल है:
- सभी लागू नैदानिक सेवाएं,
- लागू नैदानिक स्थितियों के लिए स्क्रीनिंग,
- किसी भी मौजूदा नैदानिक स्थिति; जैसे- एनीमिया, गर्भावस्था प्रेरित उच्च रक्तचाप, गर्भकालीन मधुमेह आदि का उचित प्रबंधन।
- उपयुक्त परामर्श सेवाएं और प्रदान की गई सेवाओं का उचित दस्तावेजीकरण।

- उन गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त सेवा का अवसर प्रदान करना, जो प्रसव पूर्व जाँच से चूक गई हैं।
- प्रसूति और मौजूदा नैदानिक स्थितियों के आधार पर उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान और लाइन-लिस्टिंग करना।
- प्रत्येक गर्भवती महिला के लिए उपयुक्त जन्म योजना और जटिलता की तैयारी, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनमें किसी भी तरह का जोखिम कारक या कॉमोरबिड स्थिति की पहचान गई हो।
- कुपोषित महिलाओं के शीघ्र निदान, पर्याप्त और उचित प्रबंधन पर विशेष जोर।
- किशोरावस्था और प्रारंभिक गर्भावस्था पर विशेष ध्यान देना क्योंकि ऐसे गर्भधारण के मामलों में अतिरिक्त और विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है।
- अभियान के महत्वपूर्ण घटकों में एक उच्च जोखिम वाले गर्भधारण की पहचान और उसके लिए उचित अनुवर्ती कार्रवाई शामिल है।
- प्रत्येक जाँच के लिए MCP कार्ड में गर्भवती महिलाओं की स्थिति और जोखिम कारक को दर्शाने वाला स्टिकर लगाया जाएगा:

ग्रीन स्टीकर- बिना किसी जोखिम कारक वाली महिलाओं के लिए।
लाल स्टीकर - उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था वाली महिलाओं के लिए।
स्रोत-ऑल इंडिया रेडियो

हिमालयी औषधीय पौधे

चर्चा में क्यों?

- हाल के एक आकलन के बाद हिमालय में पायी जाने वाली तीन औषधीय पौधों की प्रजातियों ने संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN रेड लिस्ट में जगह बनायी है।

प्रमुख बिंदु

- मीज़ोट्रोपिस पेलिटा को 'गंभीर रूप से लुप्तप्राय', फ्रिटिलोरिया सिरोहोसा को 'असुरक्षित' के रूप में और डैक्टाइलोरिज़ा हैटागिरिया को 'लुप्तप्राय' के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

मीज़ोट्रोपिस पेलिटा:

- मीज़ोट्रोपिस पेलिटा, जिसे आमतौर पर पटवा के रूप में जाना जाता है, एक बारहमासी झाड़ी है जो उत्तराखंड की स्थानिक प्रजाति है।
- अध्ययन में कहा गया है कि "प्रजातियों को उनके सीमित क्षेत्र (10 वर्ग किमी. से कम) के आधार पर 'गंभीर रूप से लुप्तप्राय' के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।"
- प्रजातियों को वनों की कटाई, आवास विखंडन और जंगल की आग से खतरा है।
- इसकी पत्तियों से निकाले गए तेल में मजबूत एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और यह फार्मास्युटिकल उद्योगों में सिंथेटिक एंटीऑक्सिडेंट्स के लिए एक आशाजनक प्राकृतिक विकल्प हो सकता है।

फ्रिटिलारिया सिरोसा:

- फ्रिटिलारिया सिरोसा (हिमालयन फ्रिटिलरी) एक बारहमासी बल्बनुमा जड़ी बूटी है।
- अध्ययन के अनुसार, मूल्यांकन अवधि (22 से 26 वर्ष) के दौरान इसकी आबादी में कम से कम 30% की गिरावट हुई है।
- गिरावट की दर, लंबी अवधि की पीढ़ी, खराब अंकुरण क्षमता, उच्च व्यापार मूल्य, व्यापक कटाई दबाव और अवैध व्यापार को ध्यान में रखते हुए, इस प्रजाति को 'असुरक्षित' के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- चीन में, प्रजातियों का उपयोग ब्रोन्कियल विकारों और निमोनिया के इलाज के लिए किया जाता है।
- यह पौधा एक मजबूत कफ सप्रेसेंट (खाँसी निवारक) भी है।

डैक्टाइलोरिजा हटागिरिया:

- तीसरी सूचीबद्ध प्रजाति, डैक्टाइलोरिज़ा हटागिरिया (सलामपंजा) को निवास स्थान के नुकसान, पशुधन चराई, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन से खतरा है।
- पेचिश, जठरशोथ, बुखार, खांसी और पेट में दर्द को ठीक करने के लिए आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और चिकित्सा की अन्य वैकल्पिक प्रणालियों में इसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है।

स्रोत- द हिन्दू

एयर-ब्रीदिंग स्क्रैमजेट इंजन

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण किया।

प्रमुख बिंदु

- हवा में साँस लेने वाले स्क्रैमजेट इंजन में, वातावरण से हवा को इंजन के दहन कक्ष में 2 मैक से अधिक की सुपरसोनिक गति से प्रवेश कराया जाता है।

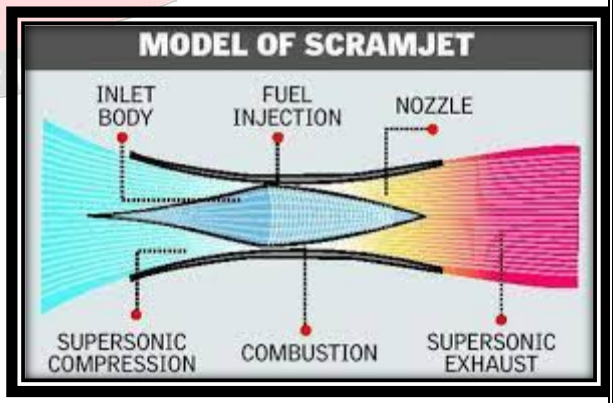

प्रक्रिया:

- कक्ष में, सुपरसोनिक दहन प्रज्वलित करने के लिए हवा ईंधन के साथ मिश्रित होती है, लेकिन क्रूजर की उड़ान 6-7 मैक की हाइपरसोनिक गति से अधिक होती है। इसलिए इसे सुपरसोनिक दहन रैमजेट या स्क्रैमजेट कहा जाता है।
- परमाणु ईंधन के साथ हवा मिश्रित होकर ईंधन को प्रज्वलित करती है और स्क्रैमजेट इंजन फिर से सक्रिय हो जाता है।

लाभ:

- हवा में साँस लेने वाली स्क्रैमजेट तकनीक में दक्षता हासिल करने से हाइपरसोनिक मिसाइलों का विकास, तीव्र नागरिक हवाई परिवहन और कम लागत पर उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने की सुविधा मिलेगी।

स्रोत- द हिन्दू

210, Virat Bhawan, 2nd Floor Near Post Office, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09
Contact Us 9999516388, 8595638669